**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर**
**पीठासीन अधिकारी, वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस.**

अपील संख्या 139/21 निर्णय दिनांकः 11-01-2024
(जीसीएमएस संख्या 2021/267)

1. रामकरणराम पुत्र तेजाराम जाति बिश्नोई निवासी गौडू तहसील हाल बज्जू जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. फूसाराम पुत्र आदूराम जाति जाट निवासी खीयेरा तहसील लूणकरनसर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बज्जू।

रेस्पोडेन्ट्स

**अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 20–11–1993,**
**07–02–2017 व संशोधित आदेश दिनांक 06–04–2021**
**उपखण्ड अधिकारी, बज्जू**

उपस्थितिः–

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री प्रहलाद जाखड़, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने उक्त अपील उपखण्ड अधिकारी, बज्जू के आदेश दिनांक 20–11–1993, 07–02–2017 एवं संशोधित आदेश दिनांक 06–04–2021 जिसके द्वारा अपीलांट के मुरब्बे में स्थित मिडियम पेच की भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट् की खातेदारी भूमि चक 11 जीएमआर के मुरब्बा नम्बर 80/7 व 80/8 में निहित है। उक्त मुरब्बा नम्बरान् में कुछ रकबा आराजीराज दर्ज रिकार्ड था। जिसके आवंटन हेतु अपीलांट् द्वारा विधिवत रूप से प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका था। उक्त प्रार्थना पत्र पर भूमि आवंटन हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमानुसार संबंधित पटवारी हल्का से रिपोर्ट भी प्राप्त की जा चुकी थी। इस प्रकार प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् के मिडिमय पेच आवंटन प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी थी।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा आगे कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को वादग्रस्त भूमि का आवंटन बतौर भूमिहीन श्रेणी में वर्ष 1993 में किया गया था। उक्त दिनांक के पश्चात् 24 वर्ष तक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने आवंटन के संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। कालान्तर में अपीलांट् द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन की मांग किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वर्ष 1993 में हुए भूमिहीन आवंटन का पट्टा जारी किये जाने की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् के प्रार्थना पत्र की अनदेखी करते हुए पूर्ववर्ती आवंटन के 24 वर्ष उपरान्त आवंटन पट्टा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया है। कालान्तर में आवंटन पट्टा जारी होने व उपखण्ड क्षेत्र परिवर्तित होने के 04 वर्ष उपरान्त आवंटन आदेश में संशोधन करने के आदेश विधि विरूद्ध तरीके से पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन पट्टा जारी करने से पूर्व इस तथ्य की कतई जॉच नहीं की गई कि उक्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट् का प्रार्थना पत्र लम्बित रहा है। चूंकि वादगत् मुरब्बें में अपीलांट की पूर्व में ही भूमि निहित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का बनता है रेस्पोडेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं बनती है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुँचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आवंटन मिडियमपेच आवंटन नियमों के विपरीत होन से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

उन्होंने आगे बताया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को नोटिस दिये बिना आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्ध जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियाद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद घोषित की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2007 पार्ट I पेज 551 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 20—11—1993 को किया गया था। उक्त आवंटन पश्चात् वादग्रस्त भूमि पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा कब्जा प्राप्त कर लिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि जोकि विधिवत आवंटित भूमि रही है, के आवंटन पट्टा जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 07—02—2017 को आवंटन पट्टा जारी कर दिया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित भूमि में से कुछ भूमि गैर मुमकिन

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

आबादी में होने से आवंटन आदेश में संशोधन किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त करते हुए पूर्व में जारी आवंटन आदेश में संशोधन करने के आदेश जारी किये गये है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन विधि सम्मत है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील 24—11—2021 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट् को बिना सुनवाई व सूचना व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हस्तगत् प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 11 जीएमआर के मुरब्बा नम्बर 80/7 के किला नम्बर 3, 7, 8, 13, 14, 17, 19, 23 में 7 बीघा 17 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 80/8 के किला नम्बर 6, 14 ता 17, 25 में 6 बीघा, मुरब्बा नम्बर 80/20 के किला नम्बर 14, 17 में 2 बीघा इस प्रकार कुल 15 बीघा 17 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 20—11—1993 को किया गया था। उक्त आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने आवंटन के संबंध में किसी प्रकार की कोइ रूचि दर्शित नहीं किये जाने व कालान्तर में उक्त आवंटन के 24 वर्ष पश्चात् आवंटन पट्टे की मांग किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07—02—2017 को इस तथ्य की जॉच किये बिना कि उक्त भूमि के मिडियम पेच आवंटन हेतु अपीलांट् का प्रार्थना पत्र लम्बित है, पूर्ववर्ती आवंटन के 24 वर्ष उपरान्त रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में आवंटन पट्टा जारी किया गया है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन के उपरान्त रेस्पोडेन्ट् स्वयं अपने आवंटन के राजस्व रिकार्ड में अंकन एवं मौके पर कब्जा प्राप्त करने हेतु सावचेत नहीं रहे है तथा उक्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट् द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त अपने पूर्ववर्ती आवंटन के बाबत् आवंटन पट्टा जारी करवाने की कार्यवाही की गई है। अदालत मातहत की कार्यवाही से यह स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट् के प्रार्थना पत्र एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने आवंटन वर्ष 1993 के उपरान्त आगामी 24 वर्ष तक कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के उपरान्त भी इस महत्वपूर्ण तथ्य को दरकिनार करते हुए केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से समस्त कार्यवाही सम्पादित किया जाना परिलक्षित होता है। आवंटन आदेश जारी करने से पूर्व इस तथ्य की जॉच अदालत मातहत द्वारा कतई नहीं की गई कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 विगत् 24 वर्ष एवं उसके उपरान्त आगामी 04 वर्षो तक अपने आवंटन को बहाल रखने के प्रति क्यों सावचेत नहीं रहा है?

प्रकरण में चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के आवंटन दिनांक 20—11—1993 के पश्चात् 24 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के उपरान्त आवंटन पट्टा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया है तथा उक्त आवंटन पट्टा जारी करने से पूर्व

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की कतई जॉच नहीं की गई है कि वादग्रस्त भूमि के आवंटन हेतु अपीलांट् अथवा अन्य किसी व्यक्ति का कोई प्रार्थना पत्र जैरकार रहा है अथवा नहीं? इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट् को सुनवाई का अवसर दिये बिना, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किया गया है, जो राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14 (ए) के विपरीत होने से काबिल खारिज है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2007 पार्ट I पेज 551 जिसमें अभिलिखित किया गया है कि:– राजस्थान उपनिवेशन (भाखड़ा परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन व विक्रय) नियम 1955 नियम 11/14 – आवंटन का निरस्त करना–रेस्पोडेन्ट नं. 1 को पुख्ता आवंटन किया–वैधता–भूमि स्माल पेच के रूप में आवंटन हेतु उपलब्ध थी – भूमि सिवाय चक के रूप में दिखाई......., आवंटन हेतु अपीलांट्स के आवेदन एसडीओ के समक्ष विचाराधीन थे, और इनको निर्णित किये बिना, 'आरएल' को आवंटन किया – भूमि का आवंटन नियमों के प्रतिकुल था – तथ्यों को छिपाकर आवंटन प्राप्त किया – निर्णित, आवंटन प्रारम्भतः शून्य है, व अपास्त किया तथा पुनः आवंटन हेतु कार्यवाही प्रारम्भ करें। मामलें पर पूर्णतया चस्पा होती है।

7. अतः उक्त विवेचना एवं नजीर के प्रकाश में अपीलांट् की अपील आशिंक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 20–11–1993 एवं आवंटन पट्टा दिनांक 07–02–2017 व संशोधित आदेश दिनांक 06–04–2021 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बज्जू को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11/1/24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर